राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

1.एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-7452/2006
पवन कुमार बनाम राजस्थान राज्य
2.एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6184/2006
श्रीमती विमला देवी बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:29.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री सुनिल कुमार यादव, अधिवक्ता, प्रार्थी पवन कुमार की ओर से
श्री अखिल सिमलोट, अधिवक्ता श्रीमती विमला देवी की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य
श्री अली मोहम्मद खान, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से

--

उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र अभियुक्त-प्रार्थीगण पवन कुमार व श्रीमती विमला देवी की ओर से एक ही प्रथम सूचना संख्या 82/2006 पुलिस थाना- मण्डावा, झूंझनूं अपराध अन्तर्गत धारा- 306 भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किये गये है, इसलिए इनकी एक साथ सुनवाई की जाकर मौजूदा एक ही आदेश से इनका निस्तारण किया जा रहा है।

इस पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि उन्हें इस मामले में अकारण झूंठा लिप्त किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्ता- प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी 60 वर्षीय वृद्धा महिला है, जो मुम्बई में निवास करती है तथा अभियुक्त- प्रार्थी पवन कुमार, मृतक की पत्नी के मौसी का बेटा है एवं उनके द्वारा कभी भी मृतक शंकर लाल को धमकी नहीं दी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार भी टेलीफोन पर अभियुक्त-प्रार्थिया विमला देवी, जो कि मृतक शंकर लाल की सास है,की बातचीत दिनांक 6.8.2006 को हुई है जबकि शंकर लाल ने दिनांक23.08.2006 को आत्महत्या की है इस तरह लगभग15 दिवस तक तो किसी बातचीत का कोई प्रभाव ही नहीं रहता है। इन परिस्थितियों में यह

मामला आत्महत्या के दुष्प्रेरणा का नहीं कहा जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में **संजू उर्फ संजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2002(3) सुप्रिम टू डे पेज-650** तथा **हरी सिंह बनाम राजस्थान (राज्य) 2000 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर राज. पेज-358** का अवलम्बन लिया है।

विद्वान लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि अभियुक्त-प्रार्थीगण ने मृतक शंकर लाल को जान से मरवा देने की धमकी देते हुए आतंकित कर रखा था तथा ऐसी धमकियां टेलीफोन पर व्यक्तिश: दी जाती रही थी, जिसके कारण ही मृतक शंकर लाल मानसिक रूप से उक्त धमकियों से परेशान हो गया तथा उसके द्वारा अपनी व्यथा का विवरण करते हुए तीन सुसाइडल नोट भी छोड़े गये हैं, जिनमें अभियुक्त-प्रार्थीगण की धमकियों से ही तंग होकर उसने आत्महत्या करना अंकित किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि इस मामले में अन्य सह अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

अभी इस मामले में अन्वेषण चल रहा है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्त प्रार्थीगण की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता, लगाये गये आरोप व उभय पक्ष के तर्कों तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में अभियुक्त- प्रार्थीगण को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते हैं।

इस प्रक्रम पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थीगण की ओर से जाहिर किया गया कि वे स्वयं को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समर्पित करने के लिए तत्पर है।

इस संदर्भ मे इतना ही अंकित किया जाना उपुयक्त होगा कि वे विधि सम्मत ढंग से ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

यदि अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा किसी भी कार्य दिवस को प्रात: 11 बजे से पूर्व स्वयं को सम्बन्धित न्यायालय में समर्पित कर जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे तो सम्बन्धित न्यायालय, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत ढंग से विचार करते हुए यथा सम्भव उसका शीघ्र निस्तारण कर देवें।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)